

9321

8272

भारतीय गैर न्यायिक



झारखण्ड JHARKHAND

06AA 374333

यह प्रमाण 21 अक्टूबर 2008 को जारी किया गया है।
 इस प्रमाण 1988 की धारा 4(1)(b) के तहत जारी किया गया है।
 इस प्रमाण का उपयोग केवल न्यायिक प्रणाली के लिए किया जा सकता है।
 इस प्रमाण का उपयोग केवल न्यायिक प्रणाली के लिए किया जा सकता है।
 इस प्रमाण का उपयोग केवल न्यायिक प्रणाली के लिए किया जा सकता है।

28/11/19


28/11/19

KRISHNA CONSTRUCTION


 Proprietor

Rekha Singh
 सिविल इंजीनियरिंग
 28-11-19 And Prasad
 Singh
 Singh

शशि कुमार
28/11

सम्पत्ति का मूल्य
1,12,06,600/-

शाम 10/- रुपये

28/11/19

ucom-

बंकिंग फंड से निवृत्त किया
735338/-

28/11/19



ASHUTOSH KUMAR
Advocate
Civil Court, Ranchi
Enr. No:- 156/08

भारत पशुपालन की भूमि घोटाला
एवं खाशमहल लॉज की सूची में
वर्णित प्लॉट दर्ज नहीं है 28/11

विकास एकरारनामा (Development Agreement)

यह विकास एकरारनामा आज दिनांक 28 नवम्बर 2019 ई0 को इस प्रकार सम्पन्न होता है:-

- लेख्यकारीगण का नाम :- 1. श्रीमती रेखा सिंह जन्मतिथि-31.12.1978, पति श्री चन्देश्वर सिंह, पिता शशिभुषण प्रसाद, दादा - बाबू महतो, जाति-कोईरी, धर्म-हिन्दु, पेशा-गृहिणी, स्थायी निवास स्थान ग्राम-बदलुटोला, थाना-मुफ्फसील (छपरा), जिला-सारण (छपरा), बिहार वर्तमान निवासी क्वाटर नं0-डी0टी0 248(टी), धुर्वा, थाना-हटिया, जिला-राँची, राज्य-झारखण्ड, भारतीय नागरिक,
पैन न0- BVGPS2537G, UID No. - 6432 1170 5017, Mob - 9437631519

Beings Anil Prasad

28-11-19

Rekha Singh
गणेश प्रसाद

भारत पशुपालन की भूमि घोटाला
में दर्ज नहीं है
मार्ग
28-11-19

नगर मंगल...
खाता...97...
का मिला...
KRISHNA CONSTRUCTION
Proprietor



28/11

Sanjay

2.

[Signature]
28-11-19



अगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

[Signature]
ASHUTOSH KUMAR
Advocate
Civil Court, Ranchi
Enr. No.- 156/08

3.

गजानन शर्मा
28-11-19



अगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

[Signature]
ASHUTOSH KUMAR
Advocate
Civil Court, Ranchi
Enr. No.- 156/08

4.

[Signature]
28-11-19



अगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

[Signature]
ASHUTOSH KUMAR
Advocate
Civil Court, Ranchi
Enr. No.- 156/08

KRISHNA CONSTRUCTION
[Signature]
Proprietor

Anil Prasad

Bengh

गजानन शर्मा


28-11-19

Rekha Sindh
गजानन शर्मा

Sarjany

5.

गजाधर प्रसाद
28-11-19




गजाधर प्रसाद

ASHUTOS
Civil Court, F
Ent. No.: 151

6.

Anil Prasad
28-11-19



ASHUTOS
Civil Court, F
Ent. No.: 151

KRISHNA CONSTRUCTION
Soniya
Proprietor

Anil Prasad
Soniya
Rakha Singh
28-11-19
Soniya

वो 2. श्री चन्देश्वर सिंह जन्मतिथि-21.08.1968 पिता श्री बिन्दा सिंह, दादा - स्व0 बुनीलाल सिंह, जाति-कोइरी, धर्म-हिन्दू, पेशा-नौकरी, स्थायी निवास स्थान ग्राम-बदलुटोला, थाना-मुफ्फसील (छपरा), जिला-सारण (छपरा), बिहार वर्तमान निवासी क्वार्टर नं0-डी0टी0 248(टी), धुर्वा, थाना-हटिया, जिला-राँची, राज्य-झारखण्ड, भारतीय नागरिक,
पैन न0- ADEPS7316N, UID No. - 8538 0381 0865, Mob - 9437631519

वो 3. श्री गजानन्द प्रसाद जन्मतिथि-20.10.1967, पिता स्व0 छतु प्रसाद सिंह उर्फ छतु प्रसाद उर्फ छतु महतो, दादा - बेनी महतो, जाति-कोइरी, धर्म-हिन्दू, पेशा-व्यापार, स्थायी निवास स्थान ग्राम-भैसवाँ, थाना-मसौढी, जिला-पटना, राज्य-बिहार वर्तमान निवासी क्वार्टर नं0- एच-314, आदर्श नगर, धुर्वा, थाना-हटिया, जिला-राँची, राज्य-झारखण्ड, भारतीय नागरिक
पैन न0- ADBPP8649Q, UID No. -3448 0376 5862, Mob - 7667871157

वो 4. श्री राधेश्याम सिंह जन्मतिथि-15.01.1953, पिता स्व0 काली प्रसाद, दादा - स्व0 बोधी महतो, जाति-कोइरी, धर्म-हिन्दू, पेशा-नौकरी, निवास स्थान क्वार्टर नं0- डी0टी0-1680, धुर्वा, थाना-धुर्वा, जिला-राँची, राज्य-झारखण्ड, भारतीय नागरिक
पैन न0- AGJPS7110C, UID No. - 5695 8866 3642, Mob - 9570811064

वो 5. गजाधर प्रसाद जन्मतिथि-20.01.1965, पिता राम शरण साव उर्फ राम शरण प्रसाद, दादा-स्वर्गीय कैलाश साव, जाति-सोनार, धर्म-हिन्दू, पेशा-व्यापार, स्थायी निवास स्थान ग्राम-अमारूत, थाना-डोभी, जिला-गया, राज्य-बिहार वर्तमान निवास स्थान क्वार्टर नं0-एच-323, आदर्शनगर, धुर्वा, थाना-हटिया, जिला-राँची, राज्य-झारखण्ड, भारतीय नागरिक
पैन न0- ADFPP7818R, UID No. -4535 4984 7132, Mob - 9431771342

वो 6. अनिल प्रसाद जन्मतिथि-20.05.1968, पिता राम शरण साव उर्फ राम शरण प्रसाद, दादा-स्वर्गीय कैलाश साव, जाति-सोनार, धर्म-हिन्दू, पेशा-व्यापार, स्थायी निवास स्थान ग्राम-अमारूत, थाना-डोभी, जिला-गया, राज्य-बिहार वर्तमान निवास स्थान क्वार्टर नं0-एच-323, आदर्शनगर, धुर्वा, थाना-हटिया, जिला-राँची, राज्य-झारखण्ड, भारतीय नागरिक
पैन न0- CGGPK8594P, UID No. -3635 8585 8571, Mob - 9431771342
जिन्हें आगे प्रथम पक्षगण/जमीन मालिक कहा जाएगा।

एवम्

2. लेख्यधारी का नाम :- संजय कुमार जन्मतिथि-31.12.1974, पिता स्व0 कृष्णा सिंह, दादा स्व0 सुबेदार सिंह, जाति-राजपुत, धर्म-हिन्दू, पेशा-व्यापार, निवास स्थान एयरपोर्ट रोड, हिनु, जिला-राँची, राज्य-झारखण्ड, भारतीय नागरिक।
पैन न0- ANKPK3270F, UID No. -6899 5731 9516, Mob - 6206114697

जिन्हे आगे डेवलपर/भवन निर्माता/ उन्नयनकर्ता/ प्रमोटर/विकासकर्ता इत्यादि के नाम से संबोधित किया गया है जिसमें उनके कार्यालय के

Anil Prasad

Sanjay Kumar

Prakash Kumar

Bengh

5118440048119
28-11-19

Rekha Singh

अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित है, इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित है, के बीच संपादित किया जा रहा है।

3. लेख्य प्रकार :- विकास कार्य हेतु एकरारनामा।
4. सम्पत्ति का विवरण :- मात्र 15.24 डी० (पंद्रह दशमलव दो चार डिसमील) भूमि हकियत, दखली, खरीदगी जमीन वाके मौजा - हेसाग, खाता नं०-97, आर० एस० प्लॉट नं०-593, थाना - जगरनाथपुर, थाना नं० - 247, नया वार्ड नं०-51 (पुराना वार्ड नं०-54), जिला - राँची, जो जिला अवर निबंधन पदाधिकारी सह जिला निबंधन पदाधिकारी राँची से संबंधित है। अन्दर :

खाता नं०	आर०एस० प्लॉट नं०	सब प्लॉट नं०	रकबा	होल्डिंग नं०
97	593	593/5	1 कट्टा 3 छटांक यानि 1.96 डि०	05400069960000Z0
97	593	593/4	1 कट्टा 13 छटांक 11 वर्गफीट यानि 3.02 डि०	05400069970000Z0
97	593	593/3	1 कट्टा 6 छटांक 39 वर्गफीट यानि 2.36 डि०	05400069980000Z0
97	593	593/1	1 कट्टा 13 छटांक यानि 2.99 डि०	05400070120000Z0
97	593	593/2	2 कट्टा 15 छटांक 26 वर्गफीट यानि 4.91 डि०	05400070110000Z0
कुल			15.24 डिसमिल	

कुल रकबा पंद्रह दशमलव दो चार डिसमिल भूमि का विकास हेतु एकरारनामा होता है :-

चौहद्दी

- उत्तर :- 20 फीट चौड़ा रास्ता
दक्षिण :- अन्य प्लॉट
पुरब :- 10 फीट चौड़ा रास्ता
पश्चिम :- अन्य प्लॉट

विदित हो कि उपरोक्त भूमि जो मौजा - हेसाग, थाना - जगरनाथपुर, थाना नं० - 247, जिला-राँची अन्तर्गत खाता नं०-97, आर०एस० प्लॉट नं०-593, आर० एस० खतियान में बल भदर सिंह वगैरह के नाम से कायमी दर्ज है।

KRISHNA CONSTRUCTION
Sauraj
Proprietor

Sauraj
Rekha Singh
जगन्नाथपुर
28-11-19
Singh - Amit Prasad

यह भी विदित हो कि श्रीमती रेखा सिंह (लेख्यकारीगण संख्या-1) ने उक्त खाता नं०-97, आर०एस० प्लॉट नं०-593, सब प्लॉट नं०-593/5 रकबा 1 कट्टा 3 छटांक भूमि को एक विक्रय पत्र रजिस्ट्री के द्वारा दिनांक-02.04.2002 ई० को मो० कासीम पिता शेख जुनाब अली, पिता हेसाग कचनार टोली, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची से खरीद कर हासिल किये हैं जिसका दस्तावेज संख्या- 3950 जो निबंधन कार्यालय रांची में निबंधित है, तथा खरीदगी के पश्चात् अपने नाम से अंचल कार्यालय नामकुम में दाखिल खारिज करवा लिये जिसका दाखिल खारीज वाद संख्या-358आर27/2004-05 है जिसका जमाबंदी पंजी-2 के जिल्द संख्या-18, पृष्ठ संख्या- 147 में दर्ज है और अपने नाम से मालगुजारी का भुगतान कर मालगुजारी रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं तथा रांची नगर निगम रांची से होल्डिंग करवा लिये हैं जिसका होल्डिंग नं०-0540006996000Z0 जो रांची नगर निगम, रांची के नया वार्ड नं०-51 (पुराना वार्ड नं०-54) के अन्तर्गत स्थित है।

यह भी विदित हो कि श्री चन्देश्वर सिंह (लेख्यकारीगण संख्या-2) ने उक्त खाता नं०-97, आर०एस० प्लॉट नं०-593, सब प्लॉट नं०-593/4 रकबा 1 कट्टा 13 छटांक 11 वर्गफीट भूमि को एक विक्रय पत्र रजिस्ट्री के द्वारा दिनांक-02.04.2002 ई० को मो० कासीम पिता शेख जुनाब अली, पिता हेसाग कचनार टोली, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची से खरीद कर हासिल किये हैं जिसका दस्तावेज संख्या- 3951 जो निबंधन कार्यालय रांची में निबंधित है, तथा खरीदगी के पश्चात् अपने नाम से अंचल कार्यालय नामकुम में दाखिल खारिज करवा लिये जिसका दाखिल खारीज वाद संख्या-360आर27/2004-05 है जिसका जमाबंदी पंजी-2 के जिल्द संख्या-18, पृष्ठ संख्या- 143 में दर्ज है और अपने नाम से मालगुजारी का भुगतान कर मालगुजारी रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं तथा रांची नगर निगम रांची से होल्डिंग करवा लिये हैं जिसका होल्डिंग नं०-0540006997000Z0 जो रांची नगर निगम, रांची के नया वार्ड नं०-51 (पुराना वार्ड नं०-54) के अन्तर्गत स्थित है।

यह भी विदित हो कि श्री गजानन्द प्रसाद (लेख्यकारीगण संख्या-3) ने उक्त खाता नं०-97, आर०एस० प्लॉट नं०-593, सब प्लॉट नं०-593/3 रकबा 1 कट्टा 6 छटांक 39 वर्गफीट भूमि को एक विक्रय पत्र रजिस्ट्री के द्वारा दिनांक-02.04.2002 ई० को मो० कासीम पिता शेख जुनाब अली, पिता हेसाग कचनार टोली, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची से खरीद कर हासिल किये हैं जिसका दस्तावेज संख्या- 3953 जो निबंधन कार्यालय रांची में निबंधित है, तथा खरीदगी के पश्चात् अपने नाम से अंचल कार्यालय नामकुम में दाखिल खारिज करवा लिये जिसका दाखिल खारीज वाद संख्या-362आर27/2004-05 है जिसका जमाबंदी पंजी-2 के जिल्द संख्या-18, पृष्ठ संख्या- 146 में दर्ज है और अपने नाम से मालगुजारी का भुगतान कर मालगुजारी रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं तथा रांची नगर निगम रांची से होल्डिंग करवा लिये हैं जिसका होल्डिंग नं०-0540006998000Z0 जो रांची नगर निगम, रांची के नया वार्ड नं०-51 (पुराना वार्ड नं०-54) के अन्तर्गत स्थित है।

यह भी विदित हो कि श्री राधेश्याम सिंह (लेख्यकारीगण संख्या-4) ने उक्त खाता नं०-97, आर०एस० प्लॉट नं०-593, सब प्लॉट नं०-593/1 रकबा 1 कट्टा 13 छटांक भूमि को एक विक्रय पत्र रजिस्ट्री के द्वारा दिनांक-08.01.2008 ई० को केदार

KRISHNA CONSTRUCTION
Proprietor,

Beigh - Anil Prasad

28-11-19

Beigh

Rekha Singh
जगन्नाथपुर

Samay

प्रसाद सिंह पिता स्व० छटु प्रसाद सिंह, निवास स्थान एच-301, आदर्शनगर, धुर्वा, रांची से खरीद कर हासिल किये हैं जिसका दस्तावेज संख्या- 298 जो निबंधन कार्यालय रांची में निबंधित है, तथा खरीदगी के पश्चात् अपने नाम से अंचल कार्यालय नामकुम में दाखिल खारिज करवा लिये जिसका दाखिल खारीज वाद संख्या-2021आर27/2007-08 है जिसका जमाबंदी पंजी-2 के जिल्द संख्या-24, पृष्ठ संख्या- 172 में दर्ज है और अपने नाम से मालगुजारी का भुगतान कर मालगुजारी रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं तथा रांची नगर निगम रांची से होल्डिंग करवा लिये हैं जिसका होल्डिंग नं०-0540007012000Z0 जो रांची नगर निगम, रांची के नया वार्ड नं०-51 (पुराना वार्ड नं०-54) के अन्तर्गत स्थित है।

यह भी विदित हो कि श्री राम शरण साव पिता रवर्गीय कैलाश साव ने उक्त खाता नं०-97, आर०एस० प्लॉट नं०-593, सब प्लॉट नं०-593/2 रकबा 2 कड्डा 15 छटांक 26 वर्गफीट भूमि को एक विक्रय पत्र रजिस्ट्री के द्वारा दिनांक-02.04.2002 ई० को मो० कासीम पिता शेख जुनाब अली, पिता हेसाग कचनार टोली, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची से खरीद कर हासिल किये हैं जिसका दस्तावेज संख्या-3952 जो निबंधन कार्यालय रांची में निबंधित है, तथा खरीदगी के पश्चात् अपने नाम से अंचल कार्यालय नामकुम में दाखिल खारिज करवा लिये।

यह भी विदित हो कि श्री राम शरण साव अपने पीछे दो पुत्र क्रमशः गजाधर प्रसाद (लेख्यकारीगण संख्या-5) व अनिल प्रसाद (लेख्यकारीगण संख्या-6) को छोड़कर स्वर्गवास कर गये, पिता के स्वर्गवास के पश्चात् दोनों भाई अपने पिता द्वारा खरीदगी उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज वो दखलकार रहते हुए उक्त भूमि का अपने नाम से अंचल कार्यालय नामकुम में दाखिल खारिज करवा लिये जिसका दाखिल खारीज वाद संख्या-3114आर27/2016-17 है जिसका जमाबंदी पंजी-2 के जिल्द संख्या-35, पृष्ठ संख्या- 74 में दर्ज है और अपने नाम से मालगुजारी का भुगतान कर मालगुजारी रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं तथा रांची नगर निगम, रांची से होल्डिंग करवा लिये हैं जिसका होल्डिंग नं०-0540007011000Z0 जो रांची नगर निगम, रांची के नया वार्ड नं०-51 (पुराना वार्ड नं०-54) के अन्तर्गत स्थित है।

विदित हो कि उपरोक्त सभी लेख्यकारीगण/जमीन मालिक अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज वो दखलकार चले आ रहे हैं।

इस तरह प्रथम पक्षकारगण उक्त भूमि के मालिक एवं स्वामी हैं एवं उसपर शांतिपूर्वक काबिज वो दखलकार चले आ रहे हैं एवम् चूंकि विकासकर्ता/प्रमोटर के अनुरोध पर सभी पक्षकार संयुक्त रूप से मिलकर प्रथम अनुसूची में दर्ज अपनी उपरोक्त भूमि को एक साथ मिलाकर विकास करने की अनुमति दी। विकासकर्ता/प्रमोटर उपरोक्त भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुरूप उक्त जमीन पर बहुमंजिली इमारत (तैं) बनायेंगे।

एवम् चूंकि जमीन मालिक द्वारा अपनी उपरोक्त जमीन उन्हें विकास हेतु सौंपने के बदले विकासकर्ता ने जमीन मालिक को नव-निर्मित बहुमंजिली इमारत का हिस्सा (जिस मालिकाना आवंटन के नाम से जाना जाएगा) देना स्वीकार किया। उक्त निर्मित भवन का बाकी हिस्सा विकासकर्ता का आवंटन के नाम से जाना जाएगा ताकि वे

B Singh Anil Prasad

28-11-19

Singh

Redha Singh
Sanyam Prasad

Sanyam

अपनी शर्तों पर अपने मनचाहे संभावित ग्राहकों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा इसमें जमीन मालिक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अतः जमीन मालिक की प्रथम अनुसूची में दर्शायी गई भूमि पर विकासकर्ता द्वारा नए भवन का निर्माण करने हेतु यह भूमि के विकास का करार निम्न शर्तों पर किया जा रहा है:-

परिभाषायें :- जब तक संदर्भ के विरुद्ध या विषयांतर या संदर्भ में अनपेक्षित न हो, इस एकरारनामा में व्यवहृत शब्दों एवम् सम्बोधनों का अर्थ निम्न प्रकार मान्य होगा वो समझा जायेगा।

- (i) **जमीन मालिक :-** का तात्पर्य 1. श्रीमती रेखा सिंह वो 2. श्री चन्देश्वर सिंह वो 3. श्री गजानन्द प्रसाद वो 4. श्री राधेश्याम सिंह वो 5. गजाधर प्रसाद वो 6. अनिल प्रसाद वो उनके वारिस वो उत्तराधिकारी से होगा।
- (ii) **विकासकर्ता :-** का तात्पर्य संजय कुमार तथा उनके विधिक प्रतिनिधि एवं निष्पादक से होगा।
- (iii) **भवन :-** का तात्पर्य प्रथम अनुसूची में वर्णित भूमि पर बनने वाली नई बहुमंजिली इमारत जिसका नाम "मनिका रेसीडेन्सी" होगा (तथा जो राँची नगर निगम, राँची द्वारा पारित नक्शा के अनुसार ही बनेगा।
- (iv) **फ्लैट:-** का तात्पर्य नव-निर्मित भवन के अलग-अलग भागों से होगा जो आवासीय उपयोग के लिए बनेंगे जिसका स्वतंत्र उपयोग किया जा सकता है।
- (v) **गाड़ी रखने की जगह :-** का तात्पर्य नव-निर्मित भवन के सतह तल्ला/ग्राउण्ड फ्लोर में गाड़ी रखने की जगह (उक्त भवन/फ्लैट में रहने वालों के कार या स्कूटर रखने के लिए सुरक्षित जगह) से होगा।
- (vi) **सामूहिक सुविधा :-** का तात्पर्य नव-निर्मित भवन में दी गई ऐसी सुविधाओं जो उसमें रहने वालों की सुख-सुविधा सुरक्षा से कोरिडोर व भवन की देख-भाल के लिए निश्चित जगह सुरक्षाकर्मी का कमरा, जेनरेटर का कमरा, पम्प रूम लिफ्ट व्यवस्था आदि जिनका विस्तृत ब्यौरा चतुर्थ अनुसूची में दर्शाया गया है, से होगा।
- (vii) **संयुक्त खर्च:-** का तात्पर्य उन खर्चों से हैं बिजली, पानी की आपूर्ति, सुरक्षा प्रहरी की तनख्वाह, सलाना कर एवम् सामूहिक होल्डिंग टैक्स आदि में आएँगे। चूंकि यह खर्च उस भवन में रहने वाली सभी परिवारों के निमित्त एवम् आवश्यक सुविधा हेतु होगा, इसलिए इसमें सभी परिवारों को अपना अनुपातिक अंश देना होगा तथा इसे सविस्तार से पंचम अनुसूची में दर्शाया गया है।
- (viii) **मालिकाना आवंटन :-** का तात्पर्य नव-निर्मित भवन जिसका नाम "मनिका रेसीडेन्सी" के उस बिल्ट-अप-एरिया का 45 (पैंतालिस) प्रतिशत भाग से होगा जो कि जमीन मालिक का होगा जैसा कि द्वितीय अनुसूची के खण्ड-क में सविस्तार से वर्णन किया गया है, और जो सामूहिक क्षेत्र यथा सीढ़ी, लॉबी, जेनरेटर कमरा, सुरक्षा प्रहरी का कमरा, पानी की टंकी की जगह तथा लिफ्ट वाली जगह को छोड़कर होगा।

- (ix) विकासकर्ता आवंटन :- का तात्पर्य नव-निर्मित भवन जिसका नाम "मनिका रेसीडेन्सी" के मालिकाना आवंटन एवं सामूहिक क्षेत्र को छोड़कर बाकी हिस्से अर्थात् 55 (पचपन) प्रतिशत भाग से होगा, द्वितीय अनुसूची के खण्ड-ख में सविस्तार वर्णन किया गया है तथा जिसे विकासकर्ता द्वारा तय की गयी कीमत पर क्रेतागण को विक्रय किया जा सकता है।
- (x) सुपर बिल्ट-अप-एरिया :- का तात्पर्य प्रत्येक फ्लैट के कारपेट एरिया, के साथ दीवार का क्षेत्र वो कॉरीडोर बालकोनी, सीढ़ी, प्रहरी कमरा, जेनरेटर कमरा, सामूहिक क्षेत्र इत्यादि का कुल क्षेत्र का आनुपातिक क्षेत्र जोड़ने के बाद जो क्षेत्रफल आयेगा उससे है।
- (xi) यह करार आज से ही प्रभावी हैं :- जहाँ भी किसी शब्द का प्रयोग एकवचन में हुआ हो उसे बहुवचन में, तथा बहुवचन में प्रयुक्त शब्द का एकवचन में भी समझा जाए।
- (2) यह करार आज से ही प्रभावी हैं।
- (3) विकासकर्ता द्वारा जमीन मालिक को आश्वस्त किया जा रहा है तथा घोषित किया जाता है कि :-
- (i) विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष प्रथम अनुसूची में दर्ज भूमि पर राँची नगर निगम, राँची द्वारा अनुमोदित नक्शा के अनुसार तथा इस करार की तृतीय अनुसूची में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार बहुमंजिला भवन का निर्माण करेंगे।
- (ii) उपरोक्त भवन में खण्ड/तलों/फ्लैटों की संख्या स्वीकृत नक्शों के अनुसार होगी।
- (iii) उक्त बहुमंजिले भवन को, जिसमें आवासीय, फ्लैट, गाड़ी रखने की जगह आदि सम्मिलित हैं, को बनाने का पूरा खर्च विकासकर्ता वहन करेंगे तथा उसके लिए होनेवाले खर्च का प्रबंध उन्हें अपने स्तर से ही करना होगा इसके लिए विकासकर्ता चाहे बैंक से कर्ज लें; या विकासकर्ता अपने आवंटन के हिस्से के हस्तांतरण के एवज में इच्छुक खरीददारों से अग्रिम राशि या किस्तों की वसूली करें इसमें जमीन मालिकों को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- (iv) विकासकर्ता विकास कार्यों की देख-रेख का खर्च भी स्वयं करेंगे।
- (v) उक्त भूखण्ड को डेवलपमेंट करने अर्थात् नक्शा इत्यादि किसी प्रकार का कार्य के लिए सारे व्यय विकासकर्ता ही कर रहे हैं। नक्शा तथा निर्माण का गुणवत्ता सम्बंधित सारी जवाबदेही भी विकासकर्ता की होगी। कार्यकुशलता तथा निर्माण हेतु उपयोग किये गये निर्माण सामग्रियों का गुणवत्ता वो उसके सही प्रयोग की सारी जवाबदेही भी विकासकर्ता की होगी। विकासकर्ता इन सारी बातों के लिए हर प्रकार से तथा सर्वदा भूखण्ड मालिक को क्षतिरहित तथा दायित्वरहित रखेंगे।
- (vi) विकासकर्ता राँची नगर निगम, राँची में उपरोक्त भवन का नक्शा जमीन मालिक की सहमति से जमा करेंगे। अगर संशोधन की आवश्यकता हो तो संशोधित नक्शा भी जमीन मालिक की सहमति से विकासकर्ता अपना खर्च तथा उद्यम

से बनवाकर राँची नगर निगम, राँची से स्वीकृत कराया। बिना स्वीकृत नक्शा का अथवा स्वीकृत नक्शा का उल्लंघन कर विकासकर्ता सम्बन्धित भूखण्ड पर कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे। निर्माण हेतु विकासकर्ता राँची नगर निगम, तथा अन्य सारे कार्यालयों द्वारा प्रचलित सारे नियमावलियों को अनुबंधों का पूर्णतः ध्यान में रखेंगे और उसका पूरा तथा सही अनुपालन करेंगे।

- (vii) विकासकर्ता आवंटन के फ्लैट तथा कार पार्किंग की जगह की बिक्री हेतु इच्छुक खरीददारों को आमंत्रित करने के लिए विकासकर्ता दैनिक पत्रों में विज्ञापन देकर या अन्य तरीकों से प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। इच्छुक खरीददारों के साथ अपनी शर्तों पर तथा अपने द्वारा तय किये गये कीमत पर विकासकर्ता विक्रय करायेंगे तथा इसमें जमीन मालिकों को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- (viii) यह कि विकासकर्ता उक्त भूमि पर बहुमंजिली इमारतों का निर्माण कार्य भवन निर्माण हेतु पारित नक्शे की तिथि से 18 (अठारह) महीनों के अन्दर पूरा कर देंगे, तथा कार्य को पूरा करने के लिए 06 (छह) माह का ग्रेस पीरियड भी दिया जायगा।
- (ix) उक्त बहुमंजिला इमारत यानि कि "मनिका रेसीडेन्सी" के संपूर्ण रूप से बन जाने के बाद विकासकर्ता जमीन मालिक को उनके हिस्से का पूर्ण से बना-बनाया तथा बिना असुविधा परिवार के साथ रहने का उपयोगी भाग, (जो मालिकाना आवंटन के नाम से द्वितीय अनुसूची के खण्ड-क में दर्ज है) पर दखल दे देंगे।
- (x) जमीन मालिक भवन निर्माण के दौरान उसके कार्य एवं उसकी प्रगति का समय-समय पर निरीक्षण कर सकते हैं अगर किसी कार्य में त्रुटि पाया गया तो उस त्रुटि को विकासकर्ता के संज्ञान में लाएँगे तथा नक्शा के हिसाब से नहीं पाई जायें तो उसका निराकरण विकासकर्ता स्वयं करेंगे।
4. जमीन मालिक द्वारा विकासकर्ता को आश्वस्त किया जा रहा है तथा यह घोषित किया जा रहा है कि :-
- (i) जमीन मालिक ने प्रथम अनुसूची में दर्ज भूमि पर उसके विकास के लिए विकासकर्ता को दखल कब्जा दे दिये है और अब विकासकर्ता जमीन को उपरोक्त शर्तों पर विकास करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- (ii) जमीन मालिक इस अनुबंध पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद भूखण्ड संबंधित सारे कागजात का छायाप्रति को विकासकर्ता को दे देंगे और मूल से मिलान करवायेंगे ताकि उक्त छायाप्रतियाँ भवन के नक्शे को स्वीकृति के समय राँची नगर निगम, के समक्ष पेश किया जा सके एवं लोन के लिए बैंक के समक्ष भी प्रस्तुत करेंगे।
- (iii) विकासकर्ता जरूरत महसूस करने पर भवन के नक्शा में आवश्यक फेरबदल करेंगे जिसपर भूखण्ड के मालिक को कोई आपत्ति नहीं होगा बशर्त राँची नगर निगम, की सहमति ले जी जाय।

Anul Prasad

जानवर नसिग

Bhugh

28-11-19

Rexha Sindh

Sanyal

- (iv) यह कि निर्माण कार्य के दौरान बिजली या पानी या अन्य किसी भी कारण की गयी सारे खर्च का वहन विकासकर्ता शत-प्रतिशत करेंगे।
- (v) यह कि भूखण्ड पर निर्माण कार्य रॉची नगर निगम, तथा अन्य संस्थानों कार्यालयों के दिशा-निर्देश के अनुसार होगा। यदि किसी भी विचलन या अन्य कारणों से कोई भी दण्ड लगाया जाय तो विकासकर्ता को ही दण्ड तथा उसके संबंध में सारे खर्च एवं कानूनी कारवाई करना होगा और इसमें जमीन मालिक की कोई भी जवाबदेही नहीं होगी।
- (vi) अब विकासकर्ता उक्त जमीन पर बहुमंजिली इमारतें बनाने के लिए इंजिनियर, आर्किटेक्ट, राज मिस्त्री, कुल्ली, रेजा, ठेकेदार, प्लंबर, बिजली मिस्त्री, मैनेजर, स्टाफ, दरबान इत्यादि अपने खर्च और अपनी शर्तों पर रख सकते हैं इसमें जमीन मालिक को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- (vii) हरेक इच्छुक खरीददार नव-निर्मित बहुमंजिले भवन में अपने हिस्से के फ्लैट/कार पार्किंग के स्थान का उनके नाम हस्तांतरण के पश्चात् उसपर उन्हें दखल मिल जाने पर पूरे भवन के रख-रखाव एवं सुरक्षा पर होने वाले खर्च का अनुपातिक खर्च वहन करेंगे। उसी प्रकार जमीन मालिक को भी अपने हिस्से के फ्लैट आदि के रख-रखाव एवं उसपर होने वाले खर्च तथा संपूर्ण भवन के रख-रखाव एवं सुरक्षा पर होने वाले खर्च को इच्छुक खरीददारों जैसे ही अनुपातिक खर्च का वहन करेंगे।
- (viii) विकासकर्ता द्वारा इन अनुबंधों का शर्तों का सही वो पूर्ण परिपालन करने का विकास की जा रही भूमि पर विकासकर्ता के स्टॉफ वगैरह के आने-जाने, समान लाने ले जाने के लिए गाड़ियों के आने-जाने एवं प्रस्तावित बहुमंजिले भवन के निर्माण के समय इच्छुक खरीददारों के आने-जाने में जमीन मालिक किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालेंगे तथा वे विकासकर्ता को उक्त भूमि पर निर्माण कार्य करने देंगे।
- (viii) जमीन मालिक यह घोषित करते हैं तथा विकासकर्ता को यह आश्वासन देते हैं कि जमीन मालिक ने प्रथम अनुसूची में दर्ज अपनी भूमि के संबंध में आज के पहले, किसी अन्य विकासकर्ता के साथ कोई करार नहीं किया है और न उक्त भूमि को किसी के पास लीज, बंधक या हस्तांतरित किया है तथा उक्त भूमि हर तरह से स्वतंत्र तथा भार से मुक्त है तथा उक्त सम्पत्ति जमीन मालिक की अपनी सम्पत्ति है तथा उस विकासकर्ता के साथ यह करार करने का पूरा अधिकार है तथा उक्त भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति का कोई हक, दावा या सरोकार नहीं है।
- (5) जमीन मालिक एवं विकासकर्ता दोनों सम्मिलित रूप से यह घोषणा करते हैं कि:-
- (i) दोनों पक्ष एक दूसरे के विश्वासी बने रहेंगे तथा उपयुक्त विकास कार्य तथा बहुमंजिली भवनों का निर्माण समय पर पूरा हो इसके लिए हमेशा एक दूसरे को सहयोग देते रहेंगे।

- (ii) जमीन मालिक ने प्रथम अनुसूची में दर्ज अपनी भूमि से संबंधित सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी विकासकर्ता को दे दी है तथा वे विकासकर्ता को यह आश्वासन देते हैं कि जब भी विकासकर्ता या कोई इच्छुक खरीदार उक्त मुल दस्तावेजों को देखना चाहे उनके अनुरोध पर जमीन का मुल दस्तावेज दिखायेंगे तथा उसका छायाप्रति उपलब्ध करायेंगे।
- (iii) इस एकरारनामा में जमीन मालिक एवं विकासकर्ता का सही-सही पता दर्ज है तथा उस पते पर यदि कोई भी पत्र या सूचना निबंधित डाक द्वारा उन्हें भेजी जाय तो ऐसा समझा जाएगा। कि वह पत्र या सूचना उन्हें प्राप्त हो गयी है।
- (iv) यह कि जमीन मालिक/प्रथम पक्ष अपने हिस्से/शेयर में मिलने वाले फ्लैट/फलटों के संबंध में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के करों का वहन स्वयं करेंगे इसके लिए द्वितीय पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वे अपने हिस्से/शेयर में मिलने वाले फ्लैट/फलटों को स्वयं रखें या बिक्री करें।

धारा (1) विकासकर्ता के अधिकार व शक्तियाँ

- (1) जमीन मालिक इसके माध्यम से उपरोक्त प्रावधानों/उद्देश्यों के आलोक में प्रकटतः यह अनुमति देते व अधिकृत करते हैं जो प्रस्तावित भवन के इस एकरारनामे के अनुरूप निर्माण पूरा होने तक अधिमान्य हैं, कि विकासकर्ता के पास संपूर्ण स्वामित्व, शक्ति और अधिकार होगा ताकि वे प्रस्तावित भवन का निर्माण करें जिसमें विभिन्न मापों एवं मानकों वाले एकाधिक फ्लैटों इकाईयों का निर्माण राँची नगर निगम, द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार अपने खर्च, उद्यम, नियंत्रण, प्रबंधन एवं जवाबदेही के अंतर्गत करें।
- (2) जमीन मालिक विकासकर्ता को अनुमति देते और अधिकृत करते हैं कि वे अपने हिस्से के पार्किंग एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों व सुविधाओं सहित फ्लैटों के विक्रय हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन दें, अपने मनोवांछित इच्छुक खरीदारों के साथ अपनी शर्तों व मूल्य पर विक्रय हेतु कार्य करें तथा उसके एवज में बयाना राशि लें।
- (3) विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि उक्त भवन निर्माण के कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए सभी जरूरी कार्य करें एवं जरूरी कदम उठावें यथा-उन्हें यह अधिकार होगा कि वे ठेकेदार, इंजीनियर, वास्तुकार, राजमिस्त्री, कुली-रेजा, दरबान, सुरक्षा प्रहरी, सर्वेयर प्लंबर, डिजाईन, डेकोरेटर इत्यादि काम करने वालों को, स्वविवेकानुसार नियम एवं शर्तों पर काम में लगावें और नियुक्त करें, साथ ही उन्हें यह भी अधिकार होगा कि विकासकर्ता उनके द्वारा काम पर लगाए गए या नियुक्त कामगारों को जब कभी आवश्यक जान पड़े निलंबित करें या बर्खास्त या कार्यमुक्त करें।

धारा (2) विविध एवं उपवाद

- (1) भवन-निर्माण कार्य के पूरा होने पर तथा विकासकर्ता के हिस्से के हस्तांतरण विकासकर्ता के नामित/नामितों, जैसे पहले कहा जा चुका है, न कर दिया जाए विकासकर्ता के पास सिर्फ उनके क्षेत्र पर ही उनका दखल होगा।

Anil Prasad

22/11/19

Singh

28-11-19

Rekha Singh

Sanjay

- तथापित यह कि ऐसे दखल में रहते हुए भी जमीन मालिक एवं विकासकर्ता को यह अधिकार होगा कि अपने-अपने क्षेत्र में एक दूसरे को अन्य किसी रोक - व्यवधान पहुंचाए कार्य करने के अधिकार होंगे।
- (2) दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे को दी जाने वाली सूचना, दूसरे उपलब्ध साधनों के प्रति बिना कोई पूर्वाग्रह के हाथों-हाथ दिये जाने या पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने पर उसे तामिल हुआ माना जाएगा।
 - (3) निर्माण किया जाने वाला भवन एक आधुनिक अपार्टमेंट होगा जिसमें आधुनिक सुविधाएं यथा टाईल्सयुक्त फर्श, अल्यूमिनियम खिड़कियाँ आदि जिनका वर्णन आगे तृतीय अनुसूची में किया गया है, होगी, जिसमें सामग्रियों का प्रयोग विकासकर्ता योग्य अभियंता की सलाह मशवरे से करेंगे।
 - (4) विकासकर्ता के मार्फत आए नामित या खरीददार अपने अपने ईकाई/फ्लैटों का निर्माण विकासकर्ता के माध्यम से अपने खर्च पर, विशुद्ध रूप से अपने एवं विकासकर्ता के बीच हुए करार एवं सहमति के आधार पर कराएँगे, जिसमें जमीन मालिक की किसी तरह की कोई भागीदारी, जिम्मेवारी या जवाबदेही न तो सीधे न ही विकासकर्ता के माध्यम से होगी।
 - (5) विकासकर्ता का दिए गए उपरोक्त सारे अधिकार एवं शक्तियाँ, इस एकरारनामें के जारी रहने का प्रभावी होंगी।
 - (6) इस एकरारनामें में वर्णित प्रत्येक वाचा (प्रतिज्ञाएँ) दूसरे के आलोक में एवं उसके मद्देनजर होंगी।
 - (7) जमीन मालिक और विकासकर्ता या विकासकर्ता, प्रस्तावीत भवन का निर्माण हर प्रकार से पूरा हो जाने के बाद, सार्वजनिक (संयुक्त) सुविधाओं एवं क्षेत्रों की सुरक्षा एवं उनके रख रखाव के निमित्त एक योजना बनाएँगे, तथा उस योजना के नियमों-उपनियमों के अनुसार उस भवन के फ्लैटियर से सेवा शुल्क वसुलेंगे। उक्त फ्लैटो का निर्माण पूरा हो जाने एवं उनके मालिकों का उनका हस्तांतरण कर देने के बाद उक्त भवन के संयुक्त सुविधाओं एवं क्षेत्रों का नियंत्रण, प्रबंधन व प्रशासन, फ्लैट मालिकों और/या उनके फ्लैटियर द्वारा उन सुविधाओं एवं क्षेत्रों के उचित रखरखाव एवं प्रबंध के निमित्त गठित की जानेवाली सोसायटी को सौंप देंगे

धारा (3) विवादों का निपटारा

इसमें वर्णित किन्हीं या सभी पक्षों के बीच उक्त भवन में निर्माण एवं इस एकरारनामें के किसी या सभी शर्तों या उपबंधों पर मत-भिन्नता या विवाद होने या किसी प्रकार अधिकार का हनन होने या जिम्मेवारी के निर्वाह में चुकने या अनदेखी करने या लापरवाही बरते जाने की स्थिति में, किसी प्रकार के लेन-देन में विवाद होने की स्थिति में उनका निपटारा मध्यस्थ अधिनियम 1996 या उसमें समय समय पर किये जाने वाले संशोधनों/पुनर्अधिनियम के तहत होगा।

Anil Boraad
साधर पत्राग
Bengal
25/11/2019
28-11-19
Rekha Sindh
Sanjay

धारा (4) न्यायिक क्षेत्राधिकार

उक्त परिसर के उपर मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को ही इस एकरारनामों से संबंधित या उससे उत्पन्न मामलों पर न्यायाधिकार होगा।

प्रथम अनुसूची

(विकसित की जाने वाली जमीन का विवरण)

मात्र 15.24 डी० (पंद्रह दशमलव दो चार डिसमील) भूमि हकियत, दखली, खरीदगी जमीन वाके मौजा - हेसाग, खाता नं०-97, आर० एस० प्लॉट नं०-593, थाना - जगरनाथपुर, थाना नं० - 247, नया वार्ड नं०-51 (पुराना वार्ड नं०-54), जिला - राँची, जो जिला अवर निबंधन पदाधिकारी सह जिला निबंधन पदाधिकारी राँची से संबंधित है। अन्दर :

खाता नं०	आर०एस० प्लॉट नं०	सब प्लॉट नं०	रकबा	होलिडिंग नं०
97	593	593/5	1 कट्टा 3 छटांक यानि 1.96 डि०	05400069960000Z0
97	593	593/4	1 कट्टा 13 छटांक 11 वर्गफीट यानि 3.02 डि०	05400069970000Z0
97	593	593/3	1 कट्टा 6 छटांक 39 वर्गफीट यानि 2.36 डि०	05400069980000Z0
97	593	593/1	1 कट्टा 13 छटांक यानि 2.99 डि०	05400070120000Z0
97	593	593/2	2 कट्टा 15 छटांक 26 वर्गफीट यानि 4.91 डि०	05400070110000Z0
कुल			15.24 डिसमिल	✓

कुल रकबा पंद्रह दशमलव दो चार डिसमिल भूमि का विकास हेतु एकरारनामा होता है :-

चौहद्दी

उत्तर :- 20 फीट चौड़ा रास्ता
दक्षिण :- अन्य प्लॉट
पूरब :- 10 फीट चौड़ा रास्ता
पश्चिम :- अन्य प्लॉट

निबंधन हेतु भूमि का सरकारी मुल्य

15.24 डिसमिल जमीन का सरकारी दर पर मुल्य	रु	1,12,06,600/-
---	----	---------------

28-11-19

KAISHNA CONSTRUCTION
Proprietor

Anand Prasad
 गजाधर मराठ
 Singh
 25/11/19
 28-11-19
 Rekha Singh
 Sanjay

द्वितीय अनुसूची
(प्रस्तावित बहुमंजिला भवन "मनिका रेसीडेन्सी" में आवंटन)
खण्ड (क)

जमीन मालिक/प्रथम पक्ष का आवंटन

सभी तरह से पूर्ण फ्लैट और/या फ्लोर स्पेस 45 (पैंतालिस) प्रतिशत जमीन मालिक को दिया जाएगा, बहुमंजिला भवन में फ्लैट/फ्लेटों का बंटवारा जमीन मालिक एवं विकासकर्ता की सहमति से किया जायगा, इस बाबत नक्शा पास होने के बाद पुरक एकरारनामा सह हिस्सा बंटवारा एकरारनामा (Supplimentary Agreement cum Share Distribution Agreement) किया जायगा। यह बंटवारा दो प्रतियों में बनेगा, जिसे नोटराईज्ड कर लिया जायगा, इस आधार पर दोनों पक्ष अपने हिस्से की संपत्ति को बिक्री कर सकेंगे।

विकासकर्ता फ्लैट तथा कार पार्किंग समेत राँची नगर निगम द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुसार कुल 45 (पैंतालिस) प्रतिशत सुपर बिल्ट अप एरिया, प्रथम अनुसूची में वर्णित जमीन में निर्मित भवन में जमीन मालिक को दे रहे हैं, साथ ही जमीन तथा संयुक्त सुविधाओं में अविभाजित अनुपातिक हिस्सा दे रहे हैं।

यह कि जब तक नोटोराईज्ड पुरक एकरारनामा सह हिस्सा बंटवारा एकरारनामा (Supplimentary Agreement cum Share Distribution Agreement) नहीं होगा तब तक विकासकर्ता लेख्य भूमि का बहुमंजिला भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे।

यह कि लेख्यकारी संख्या-4 राधेश्याम सिंह द्वितीय पक्ष से 4,00,000/- (चार लाख) रूपया लिये हैं जो नोटोराईज्ड पुरक एकरारनामा सह हिस्सा बंटवारा एकरारनामा (Supplimentary Agreement cum Share Distribution Agreement) के समय उनके हिस्से से समायोजित कर विकासकर्ता को दे दिया जायगा।

खण्ड (ख)

विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष का आवंटन

जमीन मालिक के आवंटन के बाद बचा का शेष 55 (पचपन) प्रतिशत फ्लैट तथा पार्किंग स्पेस तथा अनुपातिक, अविभाज्य भूमि का हिस्सा तथा सम्मिलित सुविधा एवं सामूहिक हिस्से का भी अनुपातिक भाग उपयोग के लिए विकासकर्ता का होगा, जिसे वे इच्छुक खरीदारों को बेचने, उसका सौदा करने तथा उस मद में उसकी कीमत पाने के पूरा हकदार होंगे।

यह कि विकासकर्ता को अपने हिस्से में मिली फ्लैट को बेचने के लिए निबंधित पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत नहीं होगी, इस निबंधित विकास एकरारनामा एवं नोटोराईज्ड पुरक एकरारनामा सह हिस्सा बंटवारा एकरारनामा (Supplimentary Agreement cum Share Distribution Agreement) के आधार पर विकासकर्ता बिक्री कर सकेंगे जिसपर जमीन मालिकगण/प्रथम पक्षगण को कोई आपत्ति नहीं होगी।

Anil Prasad
गणेश्वर सिंह
Bingh
28-11-19
Sanjay
Rekha Singh

तृतीय अनुसूची

नव-निर्मित बहुमंजिली इमारत/ फ्लैट के निमित्त निर्देश संयुक्त (सार्वजनिक) क्षेत्र एवं सुविधाएँ

1. बिम एवं कॉलम, खंभे, मुख्य दीवारें, बाहरी दीवारें, कॉरीडार, लॉबी, सीढ़िया, सीढ़ियों के रास्ते, स्टेयर-लॉबी/लैण्डिंग, पंपहाउस, बिजली मीटर रूम, भवन का निकास - प्रवेश द्वार एवं अन्य क्षेत्र जो संयुक्त (सार्वजनिक) उपयोग के निमित्त बनें हों।
2. संयुक्त सेवाएँ यथा नाली का निर्माण।
3. पंप मोटर, पाईप, डक्ट एवं सभी यंत्र-उपकरण जो संयुक्त उपयोग के निमित्त भवन में लगाए गए हों।
4. ग्राउण्ड फ्लोर में संयुक्त उपयोग के लिए दरबान का कमरा।
5. भूमिगत एवं छत के उपर के टंकी व हौज।

फ्लैट के निर्माण का विस्तृत विवरण

1. पानी का प्रबंध - ट्यूबवेल एवं उपरी टंकी तक पानी चढ़ाने के प्रबंध सहित जो आर0एम0ए0 की अनुमती के अनुसार हो।
2. प्रचलित सीमेंट कंक्रीट (अल्ट्राटेक अथवा अम्बुजा अथवा लाफार्ज एल0 एण्ड टी0, ए0सी0सी0) या बढ़िया क्वालिटी का सीमेंट निर्माण कार्य हेतु।
3. कैप्टन या समकक्ष रड़ यथा सरिया (TMT ISI) ब्राण्ड
4. फ्लोर में 2 X 2 विट्रीफाईड टाइल्स अच्छे क्वालिटी/ ब्राण्ड का।
5. लॉबी में टाइल्स एवं सीढ़ी में मार्बल
6. ISI मार्का अच्छे क्वालिटी का लिफ्ट
7. सभी कमरों में कंसिल्ड कॉपर वायरिंग। ISI मार्क के अच्छे क्वालिटी कॉपर वायरिंग।
8. बाथरूम जिसमें 06 फीट की उंचाई तक टाइल्स तथा अच्छी क्वालिटी का सैनिटरी फिटिंग तथा गीजर के लिए प्रावधान
9. रसोईघर पत्थर, ग्रेनाइट स्लैब एवं आधुनिक डिजाइन का
10. सुरक्षा प्रहरी का कमरा, पंप रूम, छत के उपर टंकी एवं 24 घंटे पानी सप्लाई।
11. दीवारों और सिलिंग में अच्छी क्वालिटी का बिरला पुट्टी।
12. अच्छी लकड़ी और प्लाईवुड के दरवाजे ISI मार्का का Water Proof
13. टु ट्रेक अल्युमीनियम विंडो
14. चहारदिवारी - पूरे परिसर के चारों ओर साधारण फिनिश वाला उंचा घेरा एवं मुख्य द्वार होगा।
15. लिफ्ट, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर।

Arvind Prasad
गजधर ५५५५
Singh
5/10/2018
28-11-18
Singh
Rekha Singh
Samiya

16. स्टील रेलिंग बॉलकोनी एवं सीढ़ी में।
17. संपुर्ण भवन का निर्माण कार्य विकासकर्ता द्वारा एक समान रूप में किया जायगा।

नोट :- विकासकर्ता अपने अभियंता/मैकेनिक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपरोक्त कंडिका में एवं उपरोक्त सामग्री/सामग्रियों में बदलाव कर सकते हैं।

चतुर्थ अनुसूची
(सामूहिक सुविधा)

नए भवन के निम्नलिखित भाग सामूहिक सुविधा या उस भवन के हर निवासी की सुविधा के लिए रहेगा :-

1. कॉरीडार, लॉबी, सीढ़ी से उतरने या चढ़ने की जगह (लैंडिंग) लिफ्ट प्रवेश या निकास का स्थान।
2. पम्प एवं उसकी जगह, गाड़ियों एवं लोगो के आने-जाने का रास्ता (निचले तल्ले के पार्किंग का छोड़कर) अतिथियों या मुलाकातियों की सवारियों को निश्चित काल तक रखने की जगह (यदि ऐसा प्रबंध हो सका तब) स्टाफ का कमरा, लिफ्ट की जगह, सुरक्षा प्रहरी का कमरा, जेनरेटर का कमरा, सबों के आने जाने का रास्ता।
3. पानी का पम्प, सबसे उपरी छत की पानी की टंकी।
4. बिजली सप्लाई के लिए की गई वायरिंग, मीटर, तथा अन्य सामान (व्यक्तिगत फ्लैटों में लगाए गए बिजली फिटिंग को छोड़कर) जेनरेटर तथा जेनरेटर का कमरा।
5. जल निकास की नालियाँ, मलवहन प्रणाली तथा वर्षा का जल निकास के पाईप लाइन।
6. पूरी जमीन के बाहर की चाहरदिवारी, नए भवन का बाहरी दीवार (चारों तरफ) तथा मुख्य द्वार
7. नए भवन का ऐसा भाग या उसमें स्थापित ऐसे सामान जिसका सामूहिक उपयोग हो परन्तु व्यक्तिगत फ्लैट, फ्लैट, ऑफिस, कार पार्किंग की जगह को छोड़कर।

पंचम अनुसूची
(संयुक्त खर्च)

1. नगरपालिका का होल्डिंग टैक्स, सरकार को दी जाने मालगुजारी इत्यादि सम्मिलित खर्च होगा।
2. भूकम्प, आग अत्यादि अन्य दुर्घटनाओं से भवन की सुरक्षा के लिए उसकी बीमा कराई जाएगी जिसके प्रीमियम का भार सब मिलकर वहन करेंगे। भवन में रहने वाले लोग अपने-अपने हिस्से के फ्लैट या फ्लैट के लिए अलग-अलग

Sanjay
 Rekha
 Singh
 28-11-19
 Singh
 गजधर प्रसाद
 Arvind Prasad

बिजली का मीटर रखेंगे, एवं उसकी बिल की अदायगी स्वयं करेंगे, किन्तु भवन के सामूहिक स्थानों में लगे बिजली पर उठने वाले बिल की अदायगी सामूहिक होगी।

छठी अनुसूची

1. अभी इच्छुक खरीददार नवनिर्मित बहुमंजिला भवन में प्राप्त सभी सुविधाओं तथा सतत एवं प्रकट सुविधाओं इत्यादि के समान हकदार होंगे।
2. उक्त भवन में आने जाने के सभी रास्ते भवन में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए होंगे जिसका उपयोग इच्छुक खरीददारों के अलावे उनके परिवार के सदस्य, नौकर -चाकर, अतिथि, ग्राहक तथा मिलने जुलने के लिए आने जाने वालों के लिए समान रूप से रहेगा तथा किसी को यह अधिकार नहीं होगा कि सामान्य मार्ग, लॉबी, सीढ़ी, गाड़ियों के आने जाने का रास्ता इत्यादि पर किसी तरह का व्यवधान डाले या जहाँ तहाँ गंदगी फेंके।
3. समय-समय पर जब भी रंग-रोगन, लिपाई-पुताई, मरम्मत इत्यादि की आवश्यकता होगी, भवन के प्रशासक को कारीगर, मैकेनिक, बिजली, मिस्त्री, प्लंबर इत्यादि से वैसा करवाने का हक होगा तथा इसपर कोई व्यक्ति किसी तरह का व्यवधान नहीं डालेगा।

सातवी अनुसूची

1. यह भी विदित हो कि झारखण्ड राज्य सरकार ने संयुक्त विकास एकरारनामा के निबंधन/पंजीकरण के संबंध में अधिसूचना जारी की ताकि जमीन मालिक एवं डेवलपर/विकासकर्ता में किसी भी तरह की भविष्य में होनेवाली कानुनी जटिलता से दोनो पक्षों को बचाया जा सके।
2. यह डेवलपमेन्ट एकरारनामा झारखण्ड अपार्टमेन्ट (फ्लैट) स्वामित्व अधिनियम 2011 के धारा 5 (1) के प्रावधान के तहत प्रथम पक्ष/जमीन मालिक एवं डेवलपर/विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष के बीच निष्पादित किया जा रहा है एवं दोनो पक्ष इस एकरारनामा के प्रावधान को मानने के लिये बाध्य हैं।
3. यह भी विदित हो कि प्रथम पक्ष/जमीन मालिक एवं डेवलपर/विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष के बीच इस बात के लिए सहमति बनी है कि इस विकासकार्य एकरारनामा के निबंधन के पश्चात झारखण्ड अपार्टमेंट (फ्लैट) स्वामित्व अधिनियम 2011 के उप धारा 2 धारा 5 के तहत दोनो पक्ष अपने-अपने आवंटित फ्लैट को बिक्री के लिए स्वतंत्र हैं इस डेवलपमेन्ट एकरारनामा के तहत प्रथम पक्ष/जमीन मालिक द्वितीय अनुसूची के खण्ड-क के अनुसार बिक्री के लिए स्वतंत्र हैं एवं डेवलपर/विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष द्वितीय अनुसूची के खण्ड-ख के अनुसार बिक्री के लिये स्वतंत्र हैं प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष इस संबंध में एक दूसरे को कोई आपत्ति नहीं करेंगे।

Bengh - सातवी अनुसूची - Arvind Prasad

25/11/2019
28-11-19

Rekha Singh

Sanjay

नोट

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन खतियान के अनुसार सरकारी जमीन नहीं है, ना ही सरकार के द्वारा अधिग्रहण सैनिक या असैनिक कार्यों के लिए किया गया है, जमीन भूदान की नहीं है, जमीन वन सीमा से बाहर है तथा बी.सी.सी.एल. या ई.सी.सी.एल. की जमीन नहीं है, भूमि घोटाला, चारा घोटाला आदि से संबंधित नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरणी की जमीन आदिवासी खाते की नहीं है, ना ही आदिवासी से संबंधित है, जमीन सिलिंग से मुक्त है, जमीन मठ, मंदिर, गिरजा या मस्जिद की नहीं है ना ही सरना, मसना, हड़गड़ी, पहनई की जमीन है।

यह कि उपरोक्त भूमि कैसरे-हिन्द, गैर-मजरूआ आम, गैर-मजरूआ खास, जंगल-झाड़ी की जमीन नहीं है।


यह भी प्रमाणित किया जाता है कि जमीन मालिक एवं विकासकर्ता सी०एन०टी० एक्ट की धारा - 46 बी० (6) के प्रयोजन हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्य नहीं है।


सभी प्रस्तुत तथ्य एवं दस्तावेज जो निबंधनार्थ उपस्थापित किये गए हैं स्वेच्छा से किये गए हैं, एवं सही है गलत होने पर समस्त जवाबदेही निबंधनार्थ आए पक्षकारों की होगी।


अतः जमीन मालिक/प्रथम पक्ष एवं विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष सोच समझ बुझकर बिना किसी के बहकावे या दबाव में अपने लाभ का विचार करते हुए विकास एकरारनामा लिखवाकर, पढ वो पढवाकर अपने हस्ताक्षर से दो गवाहों के समक्ष सम्पन्न कर आज की तिथि में निबंधित कराते हैं कि समय पर काम आये वो प्रमाण रहे।

गवाह :-

जमीन मालिक/प्रथम पक्ष

1. 
28/11/19
राहुल सिंह

1) Rekha Singh
2) 
3) राजेश कुमार
4) B Singh
5) गजधर प्रसाद

2. 
28-11-19
एन.ए. सिंह
रामेश सिंह
रामेश सिंह

Anil Prasad
28-11-19



KUMAR
Advocate
Civil Court,
Ranchi
Enr. No:- 156/08

Govt

विकासकर्ता

Sanjay
28-11-19

गणेश प्रसाद

अंगुष्ठ	तंजनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र दस्तावेज में लगा है के बायें हाथ के पाँचों उंगलियों के निशान मेरे द्वारा मेरे सामने लिये गये है।

टंकक - ए०के० साहु

ड्राफ्टकर्ता :- **A.K.U. Adv.**
ASHUTOSH KUMAR
Advocate
Civil Court, Ranchi
Enr. No:- 156/08
28-11-19

Bengh

25/11/19 28-11-19

Rekha Singh

Sudh Prasad

SP	1920	1920	0	GRAS	RekhaSingh	GRN Number : 1903002778 DEPT Transaction Id : ac3d5917961578fb00f9 Transaction Type :	1920
I fee	5000	5000	0	GRAS	RekhaSingh	GRN Number : 1903002778 DEPT Transaction Id : ac3d5917961578fb00f9 Transaction Type :	5000
M(b) Fee	150	150	0	GRAS	RekhaSingh	GRN Number : 1903002778 DEPT Transaction Id : ac3d5917961578fb00f9 Transaction Type .	150
A1	280165	280165	0	GRAS	RekhaSingh	GRN Number : 1903002778 DEPT Transaction Id : ac3d5917961578fb00f9 Transaction Type :	280165
LL	3	3	0	GRAS	RekhaSingh	GRN Number : 1903002778 DEPT Transaction Id : ac3d5917961578fb00f9 Transaction Type :	3
Sub Total	287243	287249	-6				

Article : Development Agreement Number of Pages : 128

Signature of Operator

Signature of Head Clerk

Signature of Registering Officer

KRISHNA CONSTRUCTION

Proprietor





झारखण्ड सरकार

OFFICE OF THE SUB REGISTRAR

Office Name :- SRO - Ranchi

District Name :- Ranchi

State Name :- Jharkhand

Deed Endorsement

Token No :- 20190000101330

Deed Type	Development Agreement
Number of Pages	128
Fee Details	Stamp Duty :- Rs. 4, PR :- Rs. 1, SP :- Rs. 1920, I fee :- Rs. 5000, M(b) Fee :- Rs. 150, A1 :- Rs. 280165, LL :- Rs. 3,
Property No.	1
Valuation Details	Value :- Rs.11206551/- , Transaction Amount :- Rs.11206600/-
Property Details	District :- Ranchi , Tehsil :- Namkum , Village Name :- Hesag Location :- Other Road, Hesag Word No 54 Property Boundaries :- East: 10 FEET WIDE ROAD , West: OTHERS PLOT, South: OTHERS PLOT, North: 20 FEET WIDE ROAD Khata Number - 97Plot Number - 593Volume Number - 18 24 35Page Number - 147 143 146 172 74Holding Number - 05400069960000Z0 Area Of Land :- 15.24 Decimal

Sh./Smt. REKHA SINGH s/o/d/o/w/o SHASHI BHUSHAN PRASAD has presented the document for registration in this office

today dated :- 28-Nov-2019 Day :- Thursday Time :- 16:00:52 PM



REKHA SINGH(Individual)










Rekha Singh

Party Name	Document Type	Document Number
REKHA SINGH	PAN/UID	643211705017







Sr.NO	Party Name and Address	Is e-KYC Verified?	e-KYC Details	Power Of Attorney	Party Type	Party_Photo	Finger Print	Signature

KRISHNA CONSTRUCTION




 Proprietor

Sr.NO	Party Name and Address	Is e-KYC Verified?	e-KYC Details	Power Of Attorney	Party Type	Party_Photo	Finger Print	Signature
1	GAJADHAR PRASAD Address1 - AMARUT DOBHI GAYA BIHAR AT PRESENT QTR NO H-323 ADARSHNAGAR DHURWA HATIA RANCHI, Address2 - , , , Jharkhand PAN No.: Permission Case No.-	Yes	Gajadhar Prasad Address:- H-323, , Adarsh Nagar, , Dhurwa, , Ranchi, 834004, , Jharkhand, India		EXECUTANTS Age:54			
2	CHANDESHWAR SINGH Address1 - BADLUTOLA MUFFASIL CHHAPRA SARAN BIHAR AT PRESENT QTR NO D T 248 T DHURWA HATIA RANCHI, Address2 - , , , Jharkhand PAN No.: Permission Case No.-	Yes	Chandeshwer Singh Address:- Nitya Nanda Enclave Flat No-NE-202 2nd Floor, , Pathar Road, , Doranda, , Ranchi, 834002, , Jharkhand, India		EXECUTANTS Age:51			
3	RADHEY SHYAM SINGH Address1 - QTR NO D T 1680 DHURWA RANCHI, Address2 - , , , Jharkhand PAN No.: Permission Case No.-	Yes	Radhey Shyam Singh Address:- , , Qr. NO- D.T.- 1680, Tanki Side, Dhurwa, , Ranchi, 834004, , Jharkhand, India		EXECUTANTS Age:66			




KRISHNA CONSTRUCTION
Sanjay
Proprietor

Sr.NO	Party Name and Address	Is e-KYC Verified?	e-KYC Details	Power Of Attorney	Party Type	Party_Photo	Finger Print	Signature
4	ANIL PRASAD Address1 - AMARUT DOBHI GAYA BIHAR AT PRESENT QTR NO H-323 ADARSH NAGAR DHURWA HATIA RANCHI, Address2 - , , , Jharkhand PAN No.: Permission Case No.-	Yes	Anil Prasad Address:- , , , H-323, Adarsh Nagar Dhurwa, Dhurwa, , Ranchi, 834004, , Jharkhand, India		EXECUTANTS Age:51			<i>Anil Prasad</i>
5	GAJANAND PRASAD Address1 - BHAISHWAN MASAURHI PATNA BIHAR AT PRESENT QTR NO H-314 ADARSH NAGAR DHURWA HATIA RANCHI, Address2 - , , , Jharkhand PAN No.: Permission Case No.-	Yes	Gaja Nand Prasad Address:- , , , Q No-H -314 ,Adarsh Nagar ,PS- Dhurwa, Dhurwa, , Ranchi, 834004, , Jharkhand, India		EXECUTANTS Age:52			<i>Gajanan Prasad</i>
6	REKHA SINGH Address1 - BADLU TOLA MUFFASIL CHHAPRA SARAN BIHAR AT PRESENT QTR NO D T 248 T DHURWA HATIA RANCHI, Address2 - , , , Jharkhand PAN No.: Permission Case No.-	Yes	Rekha Singh Address:- Nityananda Enclave Flat No-NE-202 2nd Floor, , Pathar Road, , Doranda, , Ranchi, 834002, , Jharkhand, India		EXECUTANTS Age:40			<i>Rekha Singh</i>

KRISHNA CONSTRUCTION
Sanyal
Proprietor

Sr.NO	Party Name and Address	Is e-KYC Verified?	e-KYC Details	Power Of Attorney	Party Type	Party_Photo	Finger Print	Signature
7	SANJAY KUMAR Address1 - AIRPORT ROAD HINOO DORANDA RANCHI, Address2 - , , , Jharkhand PAN No.: ,Permission Case No.-	Yes	Sanjay Kumar Address:- Jharokha Sadan, , Airport Road , Krishnapuri, Area- Hinoo ps-Doranda, Doranda, , Ranchi, 834002, , Jharkhand, India		CLAIMANT Age:44			

Identification:


Sr.NO	Party Name and Address	Photo	FingerPrint	Signature
1	CONGRESS PRASAD S/o-D/o LATE JAGDISH PRASAD Address1 - ARYAPURI RATU ROAD RANCHI, Address2 - , , , Jharkhand PAN No.:			

Witness:

I/We individually/Collectively recognize the Seller(S) and Buyer(s)

Sr.NO	Party Name and Address	Photo	Thumb	*Signature
1	CONGRESS PRASAD Address1 - ARYAPURI RATU ROAD RANCHI, Address2 - , , , Jharkhand			

Signature of Operator



Seal and Signature of Registering Officer

Above signature & thumb Impression are affixed in my presence.

Above mentioned, (CHANDESHWAR SINGH , RADHEY SHYAM SINGH , GAJADHAR PRASAD , GAJANAND PRASAD , REKHA SINGH , ANIL PRASAD) has/have admitted the execution before me. He/ She/ They has / have been identified by (CONGRESS PRASAD) Son/Daughter/Wife of (LATE JAGDISH PRASAD) resident of (ARYAPURI RATU ROAD RANCHI) and by occupation (Business).

KRISHNA CONSTRUCTION

 Proprietor

Signature of Registering Officer

Area	Land area : 15.24 Decimal
Other Description of the Property	Pin Code - 834003
Government/Market Value	11206551.12
Transaction Amount	11206600

CLAIMANT	-Mr. SANJAY KUMAR , Address - AIRPORT ROAD HINOO DORANDA RANCHI- ,Father/Husband Name LATE KRISHNA SINGH , PAN No.- ,Permission Case No.- , Aadhaar No. *****9516
EXECUTANTS	-Mr. GAJADHAR PRASAD , Address - AMARUT DOBHI GAYA BIHAR AT PRESENT QTR NO H-323 ADARSHNAGAR DHURWA HATIA RANCHI- ,Father/Husband Name RAM SHARAN SAW ALIAS RAM SHARAN PRASAD , PAN No.- ,Permission Case No.- , Aadhaar No. *****7132
	-Mrs. REKHA SINGH , Address - BADLU TOLA MUFFASIL CHHAPRA SARAN BIHAR AT PRESENT QTR NO D T 248 T DHURWA HATIA RANCHI- ,Father/Husband Name SHASHI BHUSHAN PRASAD , PAN No.- ,Permisslon Case No.- , Aadhaar No. *****5017
	-Mr. RADHEY SHYAM SINGH , Address - QTR NO D T 1680 DHURWA RANCHI- ,Father/Husband Name LATE KALI PRASAD , PAN No.- ,Permission Case No.- , Aadhaar No. *****3642
	-Mr. CHANDESHWAR SINGH , Address - BADLUTOLA MUFFASIL CHHAPRA SARAN BIHAR AT PRESENT QTR NO D T 248 T DHURWA HATIA RANCHI- ,Father/Husband Name BINDA SINGH , PAN No.- ,Permission Case No.- , Aadhaar No. *****0865
	-Mr. ANIL PRASAD , Address - AMARUT DOBHI GAYA BIHAR AT PRESENT QTR NO H-323 ADARSH NAGAR DHURWA HATIA RANCHI- ,Father/Husband Name RAM SHARAN SAW ALIAS RAM SHARAN PRASAD , PAN No.- ,Permission Case No.- , Aadhaar No. *****8571
	-Mr. GAJANAND PRASAD , Address - BIIAISHWAN MASOURHI PATNA BIHAR AT PRESENT QTR NO H-314 ADARSH NAGAR DHURWA HATIA RANCHI- ,Father/Husband Name LATE CHATTU PRASAD SINGH ALIAS CHATTU PRASAD ALIAS CHATTU MAHTO , PAN No.- ,Permission Case No.- , Aadhaar No. *****5862

Witness Information	Mr. CONGRESS PRASAD , Address - ARYAPURI RATU ROAD RANCHI- , Father/Husband Name-LATE JAGDISH PRASAD
---------------------	---

Identifier Details	Mr. CONGRESS PRASAD , Address - ARYAPURI RATU ROAD RANCHI- , Father/Husband Name-LATE JAGDISH PRASAD
--------------------	---

Property Id:252711	
Fee Rule:Development Agreement	
1	Stamp Duty 4

1	SP	1,920
---	----	-------

KRISHNA CONSTRUCTION

Proprietor.

Property Id:252711

Fee Rule:Development Agreement

1	PR	1
2	l fee	5,000
3	M(b) Fee	150
4	LL	3
5	A1	2,80,165
Total		2,85,319

All the entries made, have been verified by me and are found same as the entries of the document presented.

Disclaimer : I hereby declare that all the contents of uploaded document and the original document are exactly same, and all the information provided by me are true to itself. The detail of property's holding number has been verified by me at the time of entry through alert generated by the system. I am satisfied with the verification and hence proceeding further for registration after seeing the alert.

Deed Writer / Advocate

Vendee / Claimant

Vendor / Executant

ANIL SINGH
Bengal
Anil Singh
गजाधर नरसाद

KRISHNA CONSTRUCTION

Proprietor



Pre Registration Docket

Date :- 26-11-2019 05:19 pm

Office Name :- SRO - Ranchi
Token No:- 20190000101330

Apoinment :- 27-Nov-2019 Time:- 16:24

Article	Development Agreement
Pre Registration Date	26-Nov-2019
No. Of Pages	64
Stamp Duty	4
Paid Stamp Duty	0
Total Fees	₹ 2,87,239.

Property Id: 252711

Valuation No. : 332664 / 2019	:- 2019-2020	User Id : 3218	Date : 26-November-2019 17:37:PM
State : Jharkhand	District : Ranchi	Tahsil : Namkum	
Land Type : Urban	Corporation : Ranchi Municipal Corporation Hesag	Village/City : Hesag	
Hesag Word No 54 - Other Road			
Khata Number - 97			
Plot Number - 593			
Volume Number - 18 24 35			
Page Number - 147 143 146 172 74			
Holding Number - 05400069960000Z0			
Valuation Rule : Commercial land			
Usage : Non Agri => Commercial Land => Commercial land			
Property Details			
1	Land area	15.24 Decimal	
Calculation Details			
Sr.No.	Description	Calculation	Total
1	Open Land Valuation	1. 15.24 x 735338=11206551.12	₹1,12,06,551/-
A	Total		₹1,12,06,551/-
Note : Final Valuation is Rounded to Next 100/-			
Total Valuation (A)			₹1,12,06,600/-
Total Amount in Words : One Crore Twelve Lakhs Six Thousand Six Hundred Rupees Only.			

Land measurement, Sub Part and House No.	Property Boundaries East: 10 FEET WIDE ROAD , West: OTHERS PLOT, South: OTHERS PLOT, North: 20 FEET WIDE ROAD
--	---

KRUSHNA CONSTRUCTION
Surya
Proprietor

Date:- 28-Nov-2019

Seal and Signature of Registering Officer



KAISHNA CONSTRUCTION

S. Sanyal
Proprietor



१९३३ - ३३
 १९३३ - ३३
 १९३३ - ३३

१९३३ - ३३
 १९३३ - ३३
 १९३३ - ३३

Hesay

१९३३ - ३३

१९३३ - ३३

१९३३ - ३३

KANISHNA CONSTRUCTION
 Proprietor

१९३३ - ३३
 १९३३ - ३३



पुष्पा
 क वी ए-एलक ड ड एल ए एल एल

PUSHNA CONSTRUCTION
 Proprietor

पट्टी नाला

सुपरी रोड

PROBATION
PUSHNA COMMISSION



उत्तरिमान २५७

Prepared and published under the authority of Government.

Superintendent of Survey.

बहिबासाको

कनक नदी

Scale 1/6 Inch = 1 Mile

नदी

कनक नदी

KRISHNA CONSTRUCTION
Proprietor





झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

November 25, 2019

पंजी II प्रति

भाग वर्तमान	18	पृष्ठ संख्या	147											
जिला का नाम	राँची	अनुमंडल नाम	सदर	अंचल का नाम	नामकुम	हलका का नाम	हल्का-04	इस्टेट का नाम	झारखण्ड					
मौजा का नाम	हेसाग	होल्डिंग संख्या	97	तौजी संख्या	0	धाना नम्बर	247	खाता का प्रकार	---					
श्रीमति रेखा देवी, वल्द-चन्देश्वर सिंह, जाति-														
खाता नम्बर	प्लोट संख्या	रकबा			परिवर्तन के लिए प्राधिकार							लगान	सेस	
97	593	1 कठB छ 0 वर्गफीट			दाखिल खारिज वाद संख्या 358 आर 27/2004-05							0.5	0.83	
कुल परिमाण		1 कठB छ 0 वर्गफीट												
तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल	
20/07/2009	2120346	2006-07	2009-10	0	0.5	0	0.13	0	0.25	0	0.25	0	0.2	

List Of Mutation Cases on the above transaction in Register-II

Mutation Cases Not Found !!

List Of Case Status Details

अवस्था देखें

BACK

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें

प्लॉट का नक्शा देखने के लिए प्लॉट नंबर क्लिक करें।



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
पंजी II प्रति

November 25, 2019

भाग वर्तमान	24	पृष्ठ संख्या	172											
जिला का नाम	राँची	अनुमंडल नाम	सदर	अंचल का नाम	नामकुम	हलका का नाम	हल्का-04	इस्टेट का नाम	झारखण्ड					
मोजा का नाम	हेसाग	होल्डिंग संख्या	97/172	तौजी संख्या	0	धाना नम्बर	247	खाता का प्रकार	---					
राधेश्याम सिंह, पिता-स्व. काली प्रसाद, जाति- -----														
खाता नम्बर	प्लॉट संख्या	रकबा	परिवर्तन के लिए प्राधिकार										लगान	सेस
97	593	1 कठ्ठा 3 छ 0 वर्गफीट	ग्रामीण खारिज केश नम्बर 2021 आर 27 सन् 2007-08 एवं अ0 अ0 के आदेश दिनांक 27/2/08 के अनुसार स्वीकृत।										0.5	0.83
कुल परिमाण		1 कठ्ठा 3 छ 0 वर्गफीट												
तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल	
12/03/2008	178429	2007	2008	0	0.5	0	0.13	0	0.25	0	0.25	0	0.2	

List Of Mutation Cases on the above transaction in Register-II

Mutation Cases Not Found !!

List Of Case Status Details

वपस्य देखें

← BACK

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे
प्लॉट का नक्शा देखने के लिए प्लॉट नंबर क्लिक करे।



झारखंड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

नामांतरण शुद्धि-पत्र

Duplicate Copy: CRSLP140416785 12/5/2016



KRISHNA CONSTRUCTION Proprietor

जिला का नाम	राँची	अनुमंडल नाम	सदर	अंचल का नाम	नामकुम	हल्का	हल्का-04
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग वर्तमान (VOL)	35	पृष्ठ संख्या वर्तमान	74	थाना न.	01

क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/ राजस्व थाना न.	थाना का नाम	स्वीकृत दवारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	संबंधित जिसमें नामांतरण			कारोबार विस्तृत सूचना			रजिस्टर 2 अद्यतन तिथि अभ्युक्ति	
						खाता न.	भाग वर्तमान	पृष्ठ संख्या वर्तमान	खाता न.	प्लॉट न.	क्षेत्रफल		लगान
16785	3114 /R27 2016 - 2017	हेमांग/ 247	नामकुम	12/2/2016	By Partition Deed No. 1990671 Dated 21/12/2015	97	18	145	97	93	2 कठों 15 छटाक 26 वर्गफीट	6	

विक्रेता का नाम : गंगाधर प्रसाद वी अनिल प्रसाद, पिता- राम शरण साव, जाति- सोनार, पत्ता-आवास संख्या एच-323 आदर्श नगर, धुर्वा, थाना धुर्वा, जिला राँची	जमाबंदी रैयत का नाम : श्री रामशरण साव-वलद-रवज कैलाश साव	विक्रेता का नाम : राम शरण साव, पिता-स्व. कैलाश साव, जाति-सोनार, पत्ता-आवास संख्या एच-323, आदर्श नगर, धुर्वा, थाना धुर्वा, जिला राँची
--	--	---

Digitally Signed By : MANOJ KUMAR
अंचलाधिकारी नामकुम



राजस्व कर्मचारी हल्का-04 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनाथ हस्तान्तरित।
यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

November 25, 2019

पंजी II प्रति

भाग वर्तमान	35	पृष्ठ संख्या	74											
जिला का नाम	राँची	अनुमंडल नाम	सदर	अंचल का नाम	नामकुम	हलका का नाम	हल्का-04	इस्टेट का नाम	JHARKHAND					
मोजा का नाम	हेसाग	होल्डिंग संख्या	97	तौजी संख्या		धाना नम्बर	247	खाता का प्रकार	---					
गजाधर प्रसाद वो अनिल प्रसाद, पिता-राम शरण साव, जाति-सोनार														
खाता नम्बर	प्लोट संख्या	रकबा			परिवर्तन के लिए प्राधिकार					लगान	सेस			
97	593	2 कठा 5 छ 26 वर्गफीट			नामान्तरण मुकदमा संख्या 3114/2016 - 2017					6	0			
कुल परिमाण		2 कठा 5 छ 26 वर्गफीट												
तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल	
07-27-2019	0883895583	2016-2017	2019-2020	18	6	4.5	1.5	9	3	9	3	3.6	1.2	

List Of Mutation Cases on the above transaction in Register-II

Mutation Cases Not Found !!

List Of Case Status Details

जयपुर देवी

BACK

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे
प्लॉट का नक्शा देखने के लिए प्लॉट नंबर क्लिक करे।

झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
पंजी II प्रति

November 25, 2019



भाग वर्तमान	18	पृष्ठ संख्या	146											
जिला का नाम	राँची	अनुमंडल नाम	सदर	अंचल का नाम	नामकुम	हलका का नाम	हल्का-04	इस्टेट का नाम	झारखण्ड					
मौजा का नाम	हेसाग	होलिग संख्या	97	तौजी संख्या	0	धाना नम्वर	247	खाता का प्रकार	---					
श्री गजानन्द प्रसाद, बल्द-छट्टु प्रसाद सिंह, जाति- -----														
खाता नम्वर	प्लोट संख्या	रकबा			परिवर्तन के लिए प्राधिकार						लगान	सेस		
9Z	593	1 कठछ छ 39 वर्गफीट			दाखिल खारिज वाद संख्या 3621 आर 27/2004-05						0.5	0.83		
कुल परिमान		1 कठछ छ 39 वर्गफीट												
तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल	
17/12/2005	0034040	2004-05	2005-06	0	0.5	0	0.13	0	0.25	0	0.25	0	0.2	

List Of Mutation Cases on the above transaction in Register-II

Mutation Cases Not Found !!

List Of Case Status Details

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति
पार प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अनाधिकारी से संपर्क करे
प्लॉट का नक्शा देखने के लिए प्लॉट नंबर क्लिक करे

KRUSHNA CONSTRUCTION
Sanjay
Proprietor



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
पंजी II प्रति

November 25, 2019

भाग वर्तमान	18	पृष्ठ संख्या	143												
जिला का नाम	राँची	अनुमंडल नाम	सदर	अंचल का नाम	नामकुम	हलका का नाम	हल्का-04	इस्टेट का नाम	झारखण्ड						
मौजा का नाम	हेसाग	होल्लेग संख्या	97	तौजी संख्या	0	धाना नम्बर	247	शाता का प्रकार	----						
श्री चन्द्रधर सिंह, गल्द-शिव विन्दा सिंह, जाति- -----															
खता नम्बर	प्लोट संख्या	रकबा			परिवर्तन के लिए प्राधिकार					तमान	सेस				
57	503	1 कठान 3 छ 11 वर्गफीट			ताम्रिल शारिज गाद संख्या 360 आर 27/2004-05					0.5	0.83				
कुल परिमाण		1 कठान 3 छ 11 वर्गफीट													
तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल		
20/07/2009	2120344	2006-07	2009-10	0	0.5	0	0.13	0	0.25	0	0.25	0	0.2		

List Of Mutation Cases on the above transaction in Register-II

Mutation Cases Not Found !!

List Of Case Status Details

बकाया देखें

BACK

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें
प्लॉट का नक्शा देखने के लिए प्लॉट नंबर क्लिक करें।

KRISHNA CONSTRUCTION

Sanyal
Proprietor

झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
पंजी II प्रति

November 25, 2019

भाग वर्तमान	18	गृह संख्या	147												
जिला का नाम	रौंही	अनुमंडल नाम	सदर	अवंत का नाम	नामकुम	हलका का नाम	हल्का-04	इस्टेट का नाम	झारखण्ड						
गौजा का नाम	हेसाग	लॉडिंग संख्या	97	लौजी संख्या	0	थाना नम्बर	247	खाता पत्र प्रकार	---						
श्रीमति रेखा देवी, वलद-चन्देभर सिंह, जाति.															
खाता नम्बर	प्लोट संख्या	रकबा			परिवर्तन के लिए प्राधिकार							लगान	सेस		
97	593	1 कठछ 0 वर्गफीट			दाखिल झारिज ताद संख्या 358 आर 27/2004-05							0.5	0.83		
कुल परिमाण		1 कठछ 0 वर्गफीट													
तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल		
20/07/2009	2120346	2006-07	2009-10	0	0.5	0	0.18	0	0.25	0	0.25	0	0.2		

List Of Mutation Cases on the above transaction in Register-II

Mutation Cases Not Found !!

List Of Case Status Details

जानकारी देखें




यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति

यह प्रपत्र केवल प्राप्ति की जानकारी के लिए है

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अधिकारी से संपर्क करें

प्लान का नक्शा देखने के लिए प्लान नंबर क्लिक करें।

KRISHNA CONSTRUCTION
Soyan
Proprietor



VILLAGE - MESAG


GRAM NO - 247

GRAM & DIST - ANUPAM

PLOT NO - 593

KHATA NO - 97

ANAD
A - 362
0 - 15.24
(15.24)



Rekha Singh

SHRISUKH YADAV

Bengh



28-11-19

Anil Prasad

28-11-19

KRISHNA CONSTRUCTION

Proprietor

Handwritten signature

Token No.: 20190000101330

CERTIFICATE

Office of the SRO - Ranchi

This **Development Agreement** was presented before the registering officer on date **28-Nov-2019** by **REKHA SINGH**, S/O, D/O, W/O **SHASHI BHUSHAN PRASAD** resident of BADLU TOLA MUFFASIL CHHAPRA SARAN BIHAR AT PRESENT QTR NO D T 248 T DHURWA HATIA RANCHI ,.

This deed was registered as Document No:- **2019/RAN/9321/BK1/8272** in Book No :- **BK1**, Volume No :- 1073 from Page No :- 137 to 264 at, office of **SRO - Ranchi**

Date:- **28-Nov-2019**

Registering Officer



SHASHI BHUSHAN PRASAD
Proprietor